

**MAHI BANSWARA RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT**  
(4 units x 700 MWe), NPCIL


**Response on issues raised on 11.5.2017 by Nodal Officer, Jaipur**

S.No	Issue raised by Nodal Officer, Jaipur	Response by NPCIL
1	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-ii(b) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न KML file polyline shape में है जबकि इसे polygon shape में दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि (कम्पानेंट वाइज) का पॉलीगन शेप में, वन/गैर वन भूमि का सीमांकन, प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु दर्शाये जाने प्रस्तावित है।	<b>Complied.</b> Uploaded as KML polygon shape.
2	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-iii(b) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा GT Sheet अपलोड की गई है किन्तु इसमें प्रस्तावित कम्पोनेंट को सही प्रकार से दर्शाया नहीं गया है एवं इसी के अनुरूप इंडेक्स नहीं बनाया गया है। अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये हैं। अतः संशोधित GT Sheet अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	<b>Complied.</b> Uploaded revised GT sheet indicating proposed components & corresponding index duly signed by authorised officer (please refer Annexure-1).
3	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-iv में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न DGPS map उचित नहीं है। प्रस्तावित मानचित्र में प्रस्तावित कम्पोनेंट को दर्शाया जाना, वन भूमि प्रवेश/निकास के अक्षांश देशान्तर संख्या भी अंकित की जानी प्रस्तावित है।	<b>Complied.</b> Revised DGPS sheet depicting proposed components A, B, C & D and latitude-longitude of points on boundary of the forest land, is enclosed as Annexure-2.
4	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में संलग्न दस्तावेज के अनुसार स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्ताव के विभिन्न विकल्पों पर अध्ययन किया गया है। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट एवं विभिन्न विकल्पों पर की गई विश्लेषण रिपोर्ट मय नक्शे के संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	Relevant excerpts of siting selection committee report are enclosed as Annexure-3.
5	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या F में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में 470 परिवारों का विस्थापन होना अवगत कराया गया है किन्तु इसमें रिहबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान के अधिकृत अधिकारी से अनुमोदित प्लान की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित है।	1) R&R plan in line with RFCT LARR-2013 duly recommended by Land Acquisition Officer based on discussion held between Collector/ SDM/ LAO and PAPs and their committee is enclosed as Annexure-4. 2) Relevant portions of the award notifying approval of NPCIL to the R&R plan is highlighted on page no-13 & 17 of main award dated 21.8.2015 and attached herewith as Annexure-5.
6	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ0 के निर्धारित प्रपत्र अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया	<b>Complied.</b> Revised cost benefit analysis is uploaded and old cost benefit analysis document have been deleted.



**MAHI BANSWARA RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT**  
(4 units x 700 MWe), NPCIL

S.No	Issue raised by Nodal Officer, Jaipur	Response by NPCIL
	है। संशोधित प्रपत्र अतिरिक्त सूचनाओं में संलग्न किया गया है। पुराने दस्तावेज को हटाया जाना प्रस्तावित है।	
7	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या H में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में पर्यावरण स्वीकृति की अनुमति की प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	Current status: Environmental Clearance is still under consideration. EIA studies have been completed and draft report is in the process of submission to MoEFCC. EIA studies have been carried out based on TOR prescribed by MoEFCC.
8	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा No अंकित किया गया है प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही पूर्ण कराया जाकर निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र मय संलग्नक संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित प्रमाण पत्र बिभागी वेबसाइट forest.rajasthan.gov.in – departmental wings – forest conservation – orders & circulars पर उपलब्ध है।	1. Our original submission in this regard has been "Yes". 2. NPCIL undertake to submit the Certificates as soon as the same is issued by District Collector.
9	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा No अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव में गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। अतः गैर वन भूमि वन विभाग को दिये जाने से संबंधित पत्र/दस्तावेज एवं KML file, GT Sheet & DGPS map दिया जाना प्रस्तावित है।	1. Yes, CA is applicable 2. Non Forest Land for Compensatory Afforestation has been identified by District Collector in consultation with District Forest Officer, Banswara in the areas of Bhurakua and Bijoribadi in khushalgadh Tehsil. 3. NPCIL undertake to provide the KML file, GT Sheet & DGPS Map as soon as it is received from District Administration.

  
(A.K. Prasad)

**Associated Director (PHWR-P)**

on behalf of

Nuclear Power Corporation of India Limited